

~~आदेश आदेश~~

→ न आदेश श्रीमान चण्डाचण्ड महोदय जज सा 06/08-09 का द्वारा 5 ग जो. का अधिन 5 ग के इन्तगत श्री संजयगर्ग पुत्र वी.वी. एम गग निवासी 33/10 सजय लैस आगरा इस्टी कावेरी एजुकेशनल ट्रस्ट आगरा के एक सुरक्षा नक्षीय एल्मादपुर के आधार वर्ष खाता खतौनी सा 223 की गण सा 456 रकबा 0.689 हे के 11/12 भाग व खाता सा 31 के गण सा 455 रकबा 1.334 हे के जुज रकबा 0.922 हे का तनहा प्रालेक है कुल 2 किता सङ्ग मरीय आर्ध घर की आबादी निर्माण की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि यदि 30 दिन की अवधि में नहीं चोर जाता है तो यह अनुमति निरप्रभावी मानी जायेगी तथा यदि आर्ध भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के तहत अधिकृत की जाती है। तो शर्तें स्वयं उत्तर दानी होगी।

18-2-09

→ न आदेश श्रीमान चण्डाचण्ड महोदय जज सा 66/ आर 6 का आदेश हुआ कि गण सुरक्षा के खाता सा 223 अफिल मृतक मुकेश पुत्र बंगाली मृतक के स्थान पर ववधू, राजू, रिबू नाबाक पुत्र 11-9-08 वर्ष मुन्नगल, मुकेश सा 10120 (माता) लखन व माँहरणी पत्नी सा 0 मुकेश का नारा नरौट लीसपुत्र है।

सत्य प्रतिनिधि
अनुमति प्रदाता



सत्य प्रतिनिधि

अधिकारी

27-4-11 क्रम सं 18
28-4-11
7:00